

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

परिवाद संख्या -- 03/2018

बइजलास - मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

प्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा
अधिकारी कार्यालय मुख्य
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
कम अभिहित अधिकारी, नागौर

बनाम

अप्रार्थीगण
1 कानाराम डारा पुत्र रामनिवास जाति जाट निवासी ग्राम घाटियाद, पो. राजोद
तहसील जायल।
फर्म:- मैसर्स श्याम डेयरी, डीडवाना रोड, नागौर।
2 भुगानाराम जाट पुत्र लिखमाराम जाति जाट निवासी ग्राम घाटियाद, पो. राजोद
तहसील जायल।
फर्म:- मैसर्स श्याम डेयरी, डीडवाना रोड, नागौर।

आदेश

दिनांक :23.06.2022

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 07-08-2017 को मैसर्स श्याम डेयरी, डीडवाना रोड, नागौर पर खाद्य पदार्थ पनीर में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 876 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/711/एक्ट/2017/712 दिनांक 24.08.2017 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना पदार्थ पनीर सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण कानाराम डारा पुत्र रामनिवास जाति जाट निवासी ग्राम घाटियाद, पो. राजोद तहसील जायल तथा भुगानाराम जाट पुत्र लिखमाराम जाति जाट निवासी ग्राम घाटियाद, पो. राजोद तहसील जायल, जिला नागौर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 17-05-18 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से दिनांक 08.07.2019 तथा अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से दिनांक 09.09.2019 को श्री चंद्रशेखर अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किये। अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 07.11.2019 को जवाब पेश किया तथा अप्रार्थीगण ने पुनः दिनांक 23.06.2022 को अपना जवाब प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार किया। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने हमारी दुकान से पनीर का सैम्पल लिया जो जांच में सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। भविष्य में पनीर बेचते समय गुणवत्ता को ध्यान में रखकर तत्पश्चात बेचेगें। लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार करते हैं तथा दोष मुक्त करवाने एवं कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया है।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या क्रमांक एलएस/711/एक्ट/2017/712 दिनांक 24.08.2017 के अनुसार खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है। इसलिये अप्रार्थी को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण कानाराम डारा पुत्र रामनिवास जाति जाट निवासी ग्राम घाटियाद, पो. राजोद तहसील जायल, जिला नागौर तथा भुगानाराम जाट पुत्र लिखमाराम जाति जाट निवासी ग्राम घाटियाद, पो. राजोद तहसील जायल, जिला नागौर पर संयुक्त रूप से रूपये 30,000/- अक्षरे तीस हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते हैं तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)